न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 89/2012 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मोहित पुत्र हेमकरण

2. मोनिका पुत्री हेमकरण नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता अनिता पत्नि हेमकरण जाति जाट निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:––– वादीगण अपीलांट्स

बनाम

1 हेमकरण पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

2 रणधीर

3 विक्रम पुत्रान मूलचन्द जाति जाट निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बूढीबावल जरिये शाखा प्रबन्धक

5 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक

6 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर

7 महेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति जाट निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:––– प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 10.2.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट्स :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 7 :– श्री हवासिंह यादव

निर्णय दिनांक 8.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 259/2008 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 10.2.2012, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 923 रकबा 12 बिस्वा, 954 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 955 रकबा 01 बीघा, 1400 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 1449 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 1680/286 रकबा 13 बिस्वा, 876 रकबा 8 बिस्वा व 925 रकबा 01 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम प्रार्थीगण की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैत्रिक आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है । उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता हेमकरण रेस्पों0 नम्बर 01 का 1/3 हिस्सा है । अप्रार्थी नम्बर 01 हेमकरण अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 के बहकावे में आकर उक्त आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । उसे प्रार्थीगण के हिस्से को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 01 के 1/3 हिस्से में से 2/3 भाग निहित है । अप्रार्थी नम्बर 01 को सम्पूर्ण भूमि अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः उसे पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 10.2.2012 के द्वारा खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि पैत्रिक है,जिसमें हमारा भी जन्म से ही हिस्सा निहित है । परन्तु रेस्पो0 संख्या 01 सालिम आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । उसे केवल अपना हिस्सा ही अंतरित करने का अधिकार है, वह हमारा हिस्सा अंतरित नहीं कर सकता । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है । फिर भी हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट गलत तौर पर खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 07 का कथन है कि अन्य जगह सस्ती भूमि खरीदने के लिये रेस्पो0 नम्बर 01 हेमकरण ने विवादित भूमि का बेचान मुझे किया है । उक्त बेचान में स्वयं अपीलांटस एवं उनकी माता की सहमति थी । मैं विवादित भूमि का सद्भावी क्रेता हूं और भूमि पर काबिज हूं । इसलिये मेरे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विवादित भूमि पैत्रिक नहीं है । वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी रेस्पो0 नम्बर 01 हेमकरण के पिता का नाम मूलचन्द था । जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में गूलचन्द के पिता का नाम टीकू अंकित है । जबकि अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 ला0 3 को वसियत करने वाले पूरण के पिता का नाम सिंहा था, जो नामान्तकरण संख्या 379 वाके ग्राम उजौली में अंकित है । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है कि पूरण व मूलचन्द एक पिता की संतान नहीं है । इसलिये उक्त पूरण अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 हेमकरण के दादा के भाई नहीं है । इन सब तथ्यों से सिद्ध है कि विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है, इसलिये प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रथमदृष्टतया मामला सिद्ध नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में सावित है । इसलिये सही तौर पर प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित आराजी में पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके लिये धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है । इसके लिये हमने अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2064–67 का अवलोकन किया, जिसमें मूलचन्द के पिता अर्थात अप्रार्थी नम्बर 01 हेमकरण के दादा का नाम टीकू अंकित है । मूलचन्द प्रार्थीगण अपीलांट्स के दादा हैं । वसीयत के आधार पर स्वीकृत हुआ इंतकाल नम्बर 379 के अनुसार वसीयतकर्ता पूरण के पिता का नाम सिंहा है । इससे सिद्ध है कि वसीयतकर्ता पूरण एवं मूलचन्द भाई नहीं है । अर्थात प्रार्थीगण अपीलांट्स के दादा मूलचन्द का भाई पूरण नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रथमदृष्टतया विवादित आराजी पैत्रिक साबित नहीं है । इसलिये प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण अपीलांटस का बनना जाहिर नहीं होता है । दूसरी ओर रेस्पो0 संख्या 7 विवादित आराजी का काबिज खरीददार काश्तकार है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में एक

कब्जेधारी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पावन्द नहीं किया जा सकता । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलांट्स प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 212 के तीनों विन्दू साबित नहीं है । इसलिये सही तौर पर विद्वान तहत अदालत ने प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं ! लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.2.2012 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर